निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 13 / 2020
दायरा दिनांकः—13.01.2020
निर्णय दिनांकः— 30.7.24

उनवान

1. कल्लुराम पुत्र गोपाल
2. मोरपाल पिसरान गोपाल जाति मीना निवासी ग्राम खेडी
3. प्रेमनारायण पुत्र छोटुलाल मीना
4. मोहनलाल आत्मज ग्यारसीराम
5. पुरूषोत्तम आत्मज ग्यारसीराम
6. चम्पालाल आत्मज ग्यारसीराम जातियान मीना निवासी ग्राम खेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. बूचीलाल पुत्र भैरूलाल जाति बलाई
2. फंदीलाल पुत्र भैरूलाल जाति बलाई निवासी ग्राम सालपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां राज0

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91,136 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः— 30.7.24
अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री जगदीश नागर — वादी
2. श्री राकेश सोनी — प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91,136 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम खेडी तहसील छबडा में भूमि खसरा नम्बर 43 रकबा 19 बीघा 07 बिस्वा खसरा नम्बर 44 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा कुल 21 बीघा 04 बिस्वा स्थित है। उपरोक्त कृषि आराजी वादीगण एवं वादीगण के पूर्वजो के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में रही है। बरवक्त सेटलमेन्ट भी उपरोक्त कृषि आराजी में वादीगण के पूर्वजों के कब्जे काश्त में रही है। सेटलमेन्ट के पूर्व भी वादीगण एवं वादीगण के पूर्वजों के कब्जे काश्त में चली आ रही है। बरवक्त सेटलमेन्ट तत्कालीन रेवेन्यू कर्मचारियों की सदभाविक गलती से वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज नही थी और बिना किसी विधिक आधार के प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई जारे अवैध एवं प्रभाव शून्य है आज दिन तक प्रतिवादीगण का कभी भी कब्जा नही रहा है। वादीगण का सेटलमेन्ट के पूर्व से ही आज दिन तक निरन्तर बिना किसी व्यवधान के निरन्तर कब्जा काश्त चली आ रहा है। जिसे 70 वर्षो से भी अधिक समय हो गया है वादीगण का यह कब्जा प्रतिवादीगण की निरन्तर जानकारी में है। तत्कालीन सेटलमेन्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सद्भाविक गलती से प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज हो जाने से वादीगण को अपरिमित क्षति हा रही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.09 17:26:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

है। वादीगण भूमियात पर विकास (इम्प्रेमेन्ट) करने से वंचित है सरकारी योजनाओं का लाभ नही मिलता रहा है। और नही बैंक से लोन मिल पा रहा है। वादीगण ने कई बार श्रीमान तहसीलदार साहब से भी काई बार निवेदन किया कि सन् 1956 में सेटलमेन्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जो सद्भाविक गलती से उपरोक्त कृषि आराजी प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई है उसे सुधार कर वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज की जावें। एवं प्रतिवादीगणकी खातेदारी रद्ध की जावे। किन्तु आज दिन तक कोई कार्यवाही नही की गई। वादीगण ने नियमानुसार धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस राज्य सरकार को जरिये तहसीलदार छबडा को दिनांक 02.09.2019 को जरिये डाक प्रेषित किया गया जो उन्हे विधिक रूप से प्राप्त हो चुका है तथा अवधि दो माह भी पुरी हो चुकी है लेकीन वादीगण के पक्ष में कोई कार्यवाही नही की गई इसलिए वादीगण के पास सक्षम न्यायालय में वाद पत्र पेश करने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा शेष नही है। इस वाद का वाद कारण अंतिम बार दिनांक 02.09.2019 को पैदा हुआ जब विधिक नोटिस राज्य सरकार को दिया अवधि नोटिस 2 माह पुरी हो जाने पर भी वादीगण के पक्ष में कोई कार्यवाही नही की लिहाजा यह तारीख ही इस वाद की बिनाय मुखासमत करार दी जाती है। सह वाद रेवेन्यू कृषि आराजी से सम्बन्धित है कृषि आराजीयात ग्राम खेडी तहसील छबडा में स्थित है। इसलिए यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अकबाली जवाब पेश हुआ वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खेडली सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 39 पेश किया गया। साक्ष्य वादी में कल्लु, फुंदीलाल, बुचीलाल, सगीर मिंया चतुर्भुज का शपथ पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रतिवादी सुनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र मे वादीगण अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति है जो खातेदारी अधिकार चाहते है प्रतिवादीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है जिनके खातेदारी में भूमि दर्ज रिकार्ड है प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खेडली तहसील छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 39 में बुचीलाल व फुन्दीलाल का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किये जिससे यह साबित हो की विवादित आराजी में सेटलमेन्ट में गलती से प्रतिवादीगण का नाम दर्ज कर दिया हो। अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति के खातेदारी की भूमि एडवर्स पोजेशन के आधार पर प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज नही की जा सकती है वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.09 17:26:31 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय एवं आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

द संख्या 13/2020	धारा 88,89,91 आर टी एक्ट 136 एल आर एक्ट	निर्णय दिनांक:– 30.07.2024

समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां

उपस्थिति :अभिभाषकवादी:–श्री जगदीश नागर–वादी	अभिभाषक प्रतिवादी:–श्री राकेश सोनी

वाद शीर्षक

उनवान

1. [illegible]राम पुत्र गोपाल
2. मोरपाल पिसरान गोपाल जाति मीना निवासी ग्राम खेडी
3. प्रेमनारायण पुत्र छोटुलाल मीना
4. मोहनलाल आत्मज ग्यारसीराम
5. पुरूषोत्तम आत्मज ग्यारसीराम
6. चम्पालाल आत्मज ग्यारसीराम जातियान मीना निवासी ग्राम खेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. बूचीलाल पुत्र भैरूलाल जाति बलाई
2. फंदीलाल पुत्र भैरूलाल जाति बलाई निवासी ग्राम सालपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां राज0

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक **30.07.2024** को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला–बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.09 17:26:31 IST
Reason: SelfAttested